

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 832/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

महिन्द्रा रुरल हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, सादना हाउस, द्वितीय फ्लोर, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली मुम्बई।
ऑफिस पता महिन्द्रा टॉवर्स, पी.के. कुर्ने चौके, वर्ली मुम्बई, शाखा कार्यालय पता पहली मंजिल, दीपक
प्लाजा, 7 ए/2, संजय नगर-ए, जोशी मार्ग के पास, मैक्स अस्पताल के सामने, मुख्य कालवाड रोड,
झोटवाडा, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

श्रीमती प्रिति शर्मा पत्नी श्री मोनू

निवासी :- यूनिट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-243, अपना घर-3, योजना बालाजी
विहार 8, सिरसी रोड, बिन्दायका, जयपुर।

एवं डी-12, उमा पथ, रामनगर, सोडाला, जयपुर।

श्री मोनू शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा

निवासी :- डी-12, उमा पथ, रामनगर, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.04.2017 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रिति शर्मा पत्नी श्री मोनू शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-243, अपना घर-3, योजना बालाजी विहार 8, सिरसी रोड, बिन्दायका, जिला जयपुर क्षेत्रफल 450.00 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 07,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.05.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वार्ड रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुविधा अधिकारियों को तौर से सूना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का तत्कालीन अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में विद्यमान संज्ञाओं की अधिसूचना गई दिनांक 16 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 17 पर सरकारी अधिनियम 2012 के तहत वित्तीय संस्थान के तहत में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक में अप्राथीगणों को कुल राशि 11,11,111/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राथीगण में उपरोक्त तर्जिम सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाना पान की प. सर्विस होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि एवं बकाय कुल राशि 1,00,00,000/- रुपये जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 20.12.2022 को अधिनियम की धारा 12 (2) के अधिनियम नोटिस जारी किया गया। अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 21 अक्टूबर में अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 16 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 16 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक कानून पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्रीमती प्रिती शर्मा पत्नी श्री मंगू शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-243, अग्रना घर-3, योजना बाजलाड़ी विहार 8, सिरसी रोड, बिन्दायका, जिला जयपुर क्षेत्रफल 450.00 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाने हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्दिष्ट करें एवं पारना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व



7. आदेश आ.डि. दिनांक 21.12.2022 को सारे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपूत)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर